18

लोक लेखा समिति

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें लोक लेखा समिति से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों तथा समिति द्वारा समय-समय पर सुस्थापित परम्पराओं तथा पूर्व निर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिये है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

लोक लेखा समिति

रचना

लोक लेखा समिति के पन्द्रह सदस्य लोक सभा द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। राज्य सभा द्वारा अपने सदस्यों में से इसी ढंग से निर्वाचित 7 सदस्य इस समिति में सहयोजित किये जाते हैं। इस निर्वाचन प्रणाली से यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रत्येक दल/समूह को दोनों सभाओं में उनकी सदस्य संख्या के अनुपात में समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया

2. हर वर्ष अप्रैल के महीने में, संसदीय कार्य मंत्री अथवा समिति के/की सभापति, यदि पदासीन हों, द्वारा लोक सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सभा के सदस्यों से लोक लेखा समिति के लिए 15 सदस्य निर्वाचित करने का अनुरोध किया जाता है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् लोक सभा समाचार भाग–2 में एक कार्यक्रम अधिसूचित किया जाता है जिसमें नामांकन प्रस्तुत करने/नाम वापस लेने तथा निर्वाचन यदि जरूरी हो, की तिथियां निर्धारित की जाती हैं। नामांकन पत्रों की प्राप्ति के पश्चात् नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की सूची सूचना–पटों पर लगायी जाती है। यदि नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या, निर्वाचित

1

किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो तो, नामनिर्दिष्ट सदस्यों को नाम वापस लेने की निर्धारित तिथि के बाद, निर्वाचित घोषित किया जाता है और परिणाम समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है। यदि नाम वापस लेने के बाद नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या, निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो तो निर्धारित तिथि को निर्वाचन किया जाता है तथा इस निर्वाचन का परिणाम समाचार भाग-दो में प्रकाशित किया जाता है।

राज्य सभा के सदस्यों का समिति में सहयोजन

3. लोक सभा में एक दूसरा प्रस्ताव रखा जाता है जिसमें राज्य सभा से, अपने सदस्यों में से सात सदस्य इस समिति में सहयोजित करने के लिए नामनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की जाती है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद उसे एक संदेश के माध्यम से राज्य सभा को भेज दिया जाता है। राज्य सभा द्वारा इस समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तथा निर्वाचित सदस्यों के नामों की सूचना लोक सभा को भेजी जाती है।

सभापति की नियुक्ति

4. समिति के/की सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के लिए निर्वाचित लोक सभा सदस्यों में से की जाती है।

1967-68 की लोक लेखा समिति से चली आ रही प्रथा के अनुसार सभा में मुख्य विपक्षी दल/समूह के समिति के सदस्य को समिति के सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2

मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता

5. कोई भी मंत्री समिति के/की सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता/की जा सकती और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाए तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता/रहती।

पदावधि

6. समिति के सदस्यों की पदावधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होती है।

सदस्यों का सरकारी समितियों में शामिल होना

7. किसी भी सदस्य को इस समिति का सदस्य निर्वाचित हो जाने पर समिति के कार्यालय को, सरकार द्वारा गठित की गयी उन विभिन्न समितियों का ब्यौरा देना होता है, जिनके साथ वह सम्बद्ध है, ताकि ये ब्यौरे अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकें। यदि अध्यक्ष यह ठीक न समझे कि कोई सदस्य किसी सरकारी समिति में काम करे तो उस सदस्य को सरकार द्वारा गठित समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि अध्यक्ष किसी सदस्य को सरकारी समिति का सदस्य बने रहने की अनुमति दे देते/देती हैं तो वह यह मांग कर सकता है कि सरकारी समिति का प्रतिवेदन, सरकार को प्रस्तुत करने से पूर्व लोक लेखा समिति के समक्ष ऐसी टिप्पणी के लिए जिसे लोक लेखा समिति ठीक समझे, रखा जाए। जब कभी लोक लेखा समिति के/की सभापति या किसी सदस्य

को सरकार द्वारा गठित किसी समिति की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया जाता है तो नियुक्ति स्वीकार करने से पूर्व वह मामला अध्यक्ष के सामने रखा जाता है।

समिति के कृत्य

8. लोक लेखा समिति भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं, भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखाओं और सभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखाओं, जिन्हें समिति ठीक समझे, की जांच करती है। संघ सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के अतिरिक्त समिति सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजस्व प्राप्तियों, और व्यय तथा स्वायत्त निकायों के लेखाओं पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की भी जांच करती है। तथापि समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों से संबंधित लेखाओं की जांच नहीं करती जिसकी जांच सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति करती है।

9. भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की छान-बीन करते समय समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले—

- कि लेखाओं में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत् उपलब्ध और लगाये जाने योग्य था जिसमें यह लगाया गया है या पारित किया गया है;

- कि व्यय उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है; और
- कि प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत इस संबंध में किये गये उपबंधों के अनुसार किया गया है।

10. समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य यह पता लगाना है कि क्या संसद द्वारा अनुदत्त धन सरकार ने ''मांग के अनुसार'' खर्च किया है। समिति के कृत्य व्यय की औपचारिकता से आगे जाकर ''समझदारी, निष्ठा तथा किफायत से व्यय किये जाने से'' संबंध रखते हैं। इस तरह समिति घाटे, निरर्थक व्यय तथा वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है।

11. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की राजस्व प्राप्तियों संबंधी रिपोर्टों की जांच करते समय समिति सरकार की कर व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की जांच करती है। इस प्रकार समिति निर्धारित दर से कम दर पर लगाये गये करों के मामलों, करापवंचन के मामलों, शुल्क न लगाये जाने के मामलों, गलत वर्गीकरणों आदि के मामलों की जांच करती है, कराधान कानूनों एवं प्रक्रियाओं की कमियों का पता लगाती है और राजस्व की हानि को रोकने के उद्देश्य से सिफारिशें करती है।

5

अधिक व्यय की गई राशि का विनियमन

12. यदि किसी सेवा पर वित्तीय वर्ष के दौरान उस प्रयोजन के लिए सभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय की गई है तो समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में उन परिस्थितियों को, जिनके कारण यह अतिरिक्त व्यय हुआ है, जांच करेगी तथा ऐसी सिफारिशें करेगी जो वह उचित समझे। तत्पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 115 में उल्लिखित रीति के अनुसार व्यय-आधिक्य के ऐसे मामले सरकार को विनियमन हेतु सभा के समक्ष लाने पड़ते हैं। संसद द्वारा व्यय आधिक्य के ऐसे मामलों के शीघ्र विनियमन हेतु समिति सभी मंत्रालयों/विभागों के संबंध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है।

जांच के लिए विषयों का चयन

13. चूंकि समिति का कार्य सामान्यत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और विनियोग लेखाओं में उल्लिखित विभिन्न मामलों तक ही सीमित रहता है, इसलिए इसका कार्य सरकार के लेखाओं पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिये जाने के बाद ही आरम्भ होता है। जैसे ही समिति का एक वर्ष के कार्यकाल के लिए गठन होता है, यह अपने कार्यकाल के दौरान गहन जांच के लिए पिछली बार चयन किये गये विषयों के पश्चात् सभा में प्रस्तुत नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से पैराग्राफों का चयन करती है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा सहायता

14. लेखाओं और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करने में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा समिति को सहायता दी जाती है।

कार्यकारी दलों/उपसमितियों का गठन

15. समिति द्वारा चुने गए विभिन्न विषयों की जांच की सुविधा प्रदान करने के लिए तथा प्रक्रिया संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए सभापति द्वारा समिति के सदस्यों में से कई अध्ययन दलों/उपसमितियों का गठन किया जाता है। समिति के पिछले प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही की जांच करने के लिए भी एक उप-समिति भी बनाई जा सकती है।

सरकार से जानकारी प्राप्त करना

16. समिति प्रथमत: संबंधित मंत्रालयों/विभागों से जांच के लिए चुने गये विषयों के संबंध में पृष्ठभूमि टिप्पण और अग्रिम जानकारी मांगती है।

अध्ययन दौरे

17. समिति जांच के लिए चुने गये विषयों से संबंधित विभिन्न विभागों/प्रतिष्ठानों का मौके पर जाकर अध्ययन करने के लिए दौरे करती है और उस जगह पर स्थित संबंधित सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएं करती हैं। प्रत्येक अध्ययन दौरा अध्यक्ष के विशिष्ट अनुमोदन से किया जाता है।

सरकारी अधिकारियों का साक्ष्य

18. तत्पश्चात् समिति द्वारा जांचाधीन विषयों से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया जाता है।

मंत्रियों को समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाता

19. समिति द्वारा मंत्रियों को लेखाओं की जांच के संबंध में किसी प्रकार के परामर्श के लिए या साक्ष्य देने के लिए समिति के समक्ष नहीं बुलाया जाता। तथापि, समिति का/की सभापति, यदि आवश्यक समझा गया हो तो समिति द्वारा किये जाने वाले विचार-विमर्श के समाप्त हो जाने के बाद, संबंधित मंत्री महोदय से अनौपचारिक बातचीत कर सकता/सकती है ताकि उन्हें निम्नलिखित बातों के संबंध में जानकारी दे सके:—

(क) मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ऐसा कोई मामला जिससे समिति पूर्णत: सहमत नहीं है, तथा

(ख) कोई ऐसा गुप्त या गोपनीय मामला जिसका समिति अपने प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं करना चाहती।

प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

20. किसी विषय के संबंध में समिति के निष्कर्ष उसके प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट होते हैं जो कि समिति द्वारा स्वीकृत हो

जाने के बाद समिति के/की सभापति द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन के भाग-दो में दिये जाते हैं। प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सभा के पटल पर भी रखी जाती है। समिति के प्रतिवेदनों को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाता है। इसलिए प्रतिवेदन में विसम्मति-टिप्पण शामिल करने की कोई प्रणाली नहीं है।

प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्यवाही

21. लोक सभा में प्रस्तुत किये जाने के बाद प्रतिवेदन की प्रतियां संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजी जाती हैं जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों और टिप्पणियों पर कार्यवाही करे और वह प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के छह महीने के भीतर उन पर ''की-गई-कार्यवाही'' टिप्पण प्रस्तुत करें।

मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त की-गई-कार्यवाही संबंधी टिप्पणों की जांच, की-गई-कार्यवाही संबंधी उप-समिति/समिति द्वारा की जाती है और समिति के, की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत किया जाता है।

की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्यवाही का विवरण

22. सभापति के अनुमोदन के पश्चात् की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में सरकार से प्राप्त उत्तरों को भी विवरणों के रूप में लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है।

[लोक लेखा समिति का गठन और कार्यचालन लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 253 से 286, 308 और 309 द्वारा तथा लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 48 से 73, 96क, 97, 97क, 99 और 100 के अनुसार होता है।]